



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26314

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1743/2026

केशव वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता, विनोद कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर्य गौतम और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने तर्क दिया कि वह निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए निर्देश स्वतः पर्याप्त हैं और वह कोई अन्य शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, अतः पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका को नए स्तर पर ही निर्णीत किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.11.2009 को उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद अक्टूबर, 2020 में उसे निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसे 11.04.2022 को इस आरोप में निलंबित कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 232/2021, धारा 366, 504, 506, 120बी आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दर्ज किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने निलंबन और संबद्धता आदेश को चुनौती दी थी जिसे इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 13905/2022 में रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, 19.09.2025 को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी जिसमें उनसे कारण पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 17(1)(क) के प्रावधानों के तहत दंड आदेश क्यों न पारित किया जाए। रिट याचिकाकर्ता ने 18.12.2025 को कारण बताओ सूचना का अपना उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद, अब पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा 07.01.2026 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता के वेतनमान में एक वर्ष की अवधि के लिए कटौती कर दी गई।
4. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को एक क्षण के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता कि यद्यपि 19.09.2025 को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी, जिसका याचिकाकर्ता ने 18.12.2025 को उत्तर दिया था, लेकिन कारण बताओ सूचना के उत्तर में उठाए गए तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है। तर्क यह है कि एक बार जब कारण

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बताओ सूचना के उत्तर में कोई पक्ष लिया जाता है और आधार प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कारण बताओ सूचना के लेखक को, जिसे कार्यवाही का निर्णय करना है, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी जिसका रिट याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर दिया था, लेकिन आक्षेपित आदेश रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को संज्ञान में नहीं लेता है।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
8. प्रत्यक्षतः, 18.09.2025 को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी जिसका याचिकाकर्ता ने 18.12.2025 को अपना उत्तर दिया था। आक्षेपित आदेश निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"आदेश

निरीक्षक ना०पु० केशव दास वर्मा (पीएनओ-092100015), वर्तमान नियुक्ति कमिशनरेट प्रयागराज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14 (1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही श्री विजय शंकर मिश्र, पीठासीन अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर द्वारा सम्पादित की गयी। जिसमें निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये-

आरोप:-

जब यह वर्ष 2021 में थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। तब इनके नियुक्ति अवधि के दौरान आवेदिका श्रीमती कलावती द्वारा थाने पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें स्वयं की पुत्री रीतू देवी उम्र 21 वर्ष को पहने हुये गहनों व 2000 रुपये को लेकर गांव के हैप्पी सिंह उर्फ शिव प्रताप सिंह द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने आदि आरोप अंकित किये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्समय इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके उपरान्त आवेदिका के पति भगवानदीन के द्वारा बार-बार उच्चाधिकारियों को अपनी लड़की की बरामदगी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में इनके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से न लेते हुए तत्समय गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया। इनके द्वारा अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता, लापरवाही, अकर्मण्यता बरतते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इनके इस कृत्य से पुलिस की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल हुई।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिन्दकी जनपद फतेहपुर से करायी गयी तो जाँच से इनको मामले को गंभीरता से न लिये पाने व तत्काल अभियोग पंजीकृत न किये जाने में गंभीर अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। तदोपरान्त इनके विरुद्ध उ०प्र० पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही इस कार्यालय के पत्रांक: पीएफ-01/2022 दिनांक सितम्बर 21, 2022 द्वारा श्री विजय शंकर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को आवंटित की गयी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीठासीन अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने उपरोक्त विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर फाइंडिंग (उपपत्ति) दिनांकित: 31.12.2024 प्रस्तुत नहीं गयी, जिसमें प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्समय अभियोग पंजीकृत / कार्यवाही न किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित है कि यदि प्रश्नगत प्रकरण में आपके द्वारा समुचित कार्यवाही की गयी होती तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होती।

उपरोक्त वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी फाइंडिंग (उपपत्ति) के निष्कर्ष से सहमत होकर इस कार्यालय के पत्र संख्या: पीएफ-01/2022 दिनांक 19.09.2025 द्वारा आरोपित निरीक्षक ना०पु० केशव दास वर्मा (पीएनओ-092100015) को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14(1) के उप नियम 4 (1) खण्ड (क) के नियम (तीन) के अन्तर्गत वर्तमान पद पर निम्नतर वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर एक वर्ष के लिये अवनत किये जाने का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।

प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस की एक प्रति आरोपित निरीक्षक ना०पु० केशव दास वर्मा (पीएनओ-092100015) द्वारा दिनांक 17.10.2025 को प्राप्त कर अपना टाइमशुदा स्पष्टीकरण दिनांकित 18.12.2025 प्रधान लिपिक शाखा पुलिस कार्यालय फतेहपुर में प्राप्त कराया गया। मेरे द्वारा आरोपित निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन करने के उपरान्त पाया गया कि आरोपित निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित कथन में कोई बल नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित निरीक्षक के विरुद्ध सम्पादित की गयी विभागीय कार्यवाही पूर्णतया उचित एवं नियमानुकूल है। आरोपित निरीक्षक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मात्र अपने बचाव के उद्देश्य से टोका टिप्पणी की गयी है, जो किसी भी स्तर से प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित निरीक्षक के दोषमुक्ति का आधार नहीं बन सकता। आरोपित निरीक्षक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तर्क संगत तथ्य/ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उस पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जा सके। सम्पूर्ण तथ्यों के परिशीलन से उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये गये हैं।

अतएव निरीक्षक ना०पु० केशव दास वर्मा (पीएनओ-092100015) द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांकित 08.12.2025 बलहीन पाये जाने एवं अवधारित आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप आरोपित निरीक्षक को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14 (1) के उप नियम 4 (1) खण्ड (क) के नियम (तीन) के अन्तर्गत वर्तमान पद पर निम्नतर वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर एक वर्ष के लिये अवनत किये जाने का आदेश एतद्वारा पारित किया जाता है।

संख्या:पीएफ-01/2022

दिनांक जनवरी 07.2026

ह०अ०

(अनूप कुमार सिंह)

पुलिस अधीक्षक,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



फतेहपुर।

9. आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से ही यह प्रकट होता है कि कारण बताओ सूचना के उत्तर में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया है। कारण बताओ सूचना का उत्तर 33 पृष्ठों का है, परंतु उस पर विचार केवल इस सीमा तक किया गया है कि उठाए गए तर्कों में से कोई भी संतोषजनक नहीं है और उनमें कोई बल (merit) नहीं है।
10. न्यायालय के विचार में, एक बार जब कारण बताओ सूचना का उत्तर प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उन पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि आदेश का लेखक कानून के अनुसार उचित और ठीक समझे। चूंकि उक्त प्रक्रिया का अभाव है, अतः आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।
11. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जा रही है: (क). प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आक्षेपित दंड आदेश दिनांक 07.01.2026 को रद्द किया जाता है। (ख). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता को सूचना देने के पश्चात, कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है।
12. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"